भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं.3876
उत्तर देने की तारीख 18 दिसम्बर, 2024

दो सरकारी विभागों के बीच संचार

3876. श्री राजेश रंजन:

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकारी विभागों के लिए कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) द्वारा जारी किए गए कार्यालय ज्ञापनों (ओएम) का अनुपालन किया जाना अनिवार्य है;

(ख) यदि हां, तो दूरसंचार विभाग द्वारा कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या एफ संख्या 11013/1/2016-स्था-ए-।।। दिनांक 05.05.2019 और 27.02.2020 के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है; और

(घ) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापनों के प्रावधानों का सरकार द्वारा ईमानदारी से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(डॉ. पेम्मासानी चंद्र शेखर)

(क) से (घ) डीओपीटी के कार्यालय ज्ञापन संख्या 11013/1/2016-स्था.ए-III दिनांक 27.02.2020 और दिनांक 05.08.2019 के अनुपालन में, दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) के निरसन के लिए दिनांक 08.11.2024 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 5394/प्रशासन-II, दिनांक 18.11.2024 का कार्यालय ज्ञापन संख्या एफ-25015/1/2017-प्रशासन जारी किया है। इसके अलावा, उचित कार्रवाई के लिए डीओटी के दिनांक 11.12.2024 के कार्यालय ज्ञापन संख्या पीएफ-5394/प्रशासन-II के माध्यम से डीओपीएंडटी को वर्तमान स्थिति से अवगत करा दिया गया है।

*****